



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 08.06.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त अंशू पुत्र अमृतलाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त अंशू पुत्र अमृतलाल नि०ग्रा० खानपुर थाना फरधान जिला खीरी को 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ बहदग्राम खानपुर से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फरधान पर मु०अ०सं० 249/2022 धारा 3/25 A. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० मो० मुश्ताक
2. हे०का० विजय प्रताप सिंह
3. का० रिकज सिंह
4. का० सुरेश

थाना पलिया पुलिस द्वारा, 09 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2022 को थाना पलिया पुलिस द्वारा 09 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्याय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. चमन पुत्र इदरीश खां नि० अतरिया बड़ा गांव थाना पलिया जनपद खीरी
2. गया प्रसाद पुत्र गोविन्द उर्फ ज्ञानी नि० श्रीनगर थाना पलिया जनपद खीरी
3. पट्टे पुत्र गणपति नि० छोटी पलिया थाना पलिया जनपद खीरी
4. मायाराम पुत्र बंशी नि० ग्राम नौगवां थाना पलिया जनपद खीरी
5. सेवाराम पुत्र रामविलास नि० बसंतापुर कला थाना पलिया जनपद खीरी
6. रामस्वरूप पुत्र रोशन नि० बसंतापुर कला थाना पलिया जनपद खीरी
7. सदानन्द पुत्र रामवली नि० कम्पनी फार्म गजरौरा थाना पलिया जनपद खीरी
8. रविन्द्र पुत्र स्व० रामवली नि० कम्पनी फार्म गजरौरा थाना पलिया जनपद खीरी
9. नवी हुसैन पुत्र रोशन खाँ नि० ग्राम फरसहिया टाण्डा थाना पलिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० सैयद मोहम्मद अब्बास, थाना पलिया जनपद खीरी
2. उ०नि० हनुमन्त लाल तिवारी
3. उ०नि० शिवकुमार
4. उ०नि० तेज सिंह

5. उ०नि० अजीत कुमार मिश्रा
6. का० लोकेन्द्र यादव
7. का० अमित यादव
8. का० नितिन यादव
9. का० अंकित-2
- 10.का० अनूप कुमार चौहान
- 11.का० अश्वनी कुमार
- 12.का० मन्दीप कुमार
- 13.का० सचिन कुमार
- 14.का० रवि यादव

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त ओरीलाल पुत्र फकीरा को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ0सं0 5756/16 धारा 323/324/504 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त ओरीलाल पुत्र फकीरा निवासी मोतीपुरवा मजरा सुजानपुर थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

ओरीलाल पुत्र फकीरा निवासी मोतीपुरवा मजरा सुजानपुर थाना धौरहरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गौरव कुमार, थाना धौरहरा जनपद खीरी
2. हे0का0 मेघनाथ यादव
3. का0 आशीष वर्मा

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त सुब्बाचौहान पुत्र संतराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 267/2022 धारा 354क/506 भादवि व 3(1) डब्लू(1) एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त सुब्बाचौहान पुत्र संतराम निवासी ग्राम खानीपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुब्बाचौहान पुत्र संतराम निवासी ग्राम खानीपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अरविन्द्र कुमार पाण्डेय, थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. उ0नि0 देशराज सिंह
3. का0 अंकित राठी

थाना निघासन पुलिस द्वारा, 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2022 को थाना निघासन पुलिस द्वारा 05 नफर वारंटी अभियुक्तों 1.मु0सं0 6406/10 धारा 323/325/504 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त श्रीकृष्ण पुत्र गनपत निवासी ग्राम पुरैना थाना निघासन जनपद खीरी 2. मु0सं0 6406/10 धारा 323/324/504 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त परसुराम पुत्र गनपत निवासी ग्राम पुरैना थाना निघासन जनपद खीरी 3. मु0सं0 2938 धारा 406/420 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त जयपाल पुत्र बट्टी निवासी ग्राम जम्हौरा थाना निघासन जनपद खीरी 4. मु0सं0 1552/18 धारा 323/504 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त आनन्दमोहन पुत्र अर्जुन लाल निवासी ग्राम नौवापुर सानी थाना निघासन जनपद खीरी 5. मु0सं0 1929/20 धारा 323/504 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त बुद्धा पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम कान्दुनपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

टीम-ए

- 1.उ0नि0 अनिल कुमार राजपुत, थाना निघासन जनपद खीरी
- 2.उ0नि0प्र0 जुबैर अहमद
- 3.का0 अमर कौशिक व
4. का0 विवेक कुमार

टीम-बी

- 1.उ0नि0 हर्षित कुमार सिंह, थाना निघासन जनपद खीरी
- 2.का0 नरेश गंगवार
- 3.का0 राजेश कुमार
- 4.का0 जयचन्द्र
- 5.का0 जितेन्द्र कुमार

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त अमीर मोहम्मद उर्फ मीरा पुत्र रहूफ को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 256/2022 धारा 354/452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अमीर मोहम्मद उर्फ मीरा पुत्र रहूफ निवासी ग्राम कटिघरा थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमीर मोहम्मद उर्फ मीरा पुत्र रहूफ निवासी ग्राम कटिघरा थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 राहुल सिंह, चौकी प्रभारी उचौलिया थाना पसगवां जनपद खीरी
- 2.हे0का0 जयप्रकाश पटेल
- 3.का0 प्रमोद

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त विश्राम पुत्र महावीर को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त विश्राम पुत्र महावीर निवासी ग्राम कान्हा खेड़ा थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 180/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विश्राम पुत्र महावीर निवासी ग्राम कान्हा खेड़ा थाना मितौली जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिंदा कारतूस

थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 को थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों 1. पूजन लाल पुत्र घुरई निवासी महिपालपुरवा थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी 2. नरेश पुत्र छोटकन निवासी नलपुरवा थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या० भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. पूजन लाल पुत्र घुरई निवासी महिपालपुरवा थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
2. नरेश पुत्र छोटकन निवासी नलपुरवा थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रामनरायन यादव, थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
2. का० देवराज

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, हत्या करने के प्रयास के संबंध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त मुनक्के पुत्र रामबहादुर को घटना में प्रयुक्त रायफल 312 बोर, 02 अदद जिंदा व 02 अदद खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 258/22 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त मुनक्के पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम मुल्लापुर थाना पसगवां जनपद खीरी को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध रायफल 312 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस के साथ मुनक्करपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पसगवां पर मु0अ0सं0 265/22 धारा 3/25 A. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुनक्के पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम मुल्लापुर थाना पसगवां जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद रायफल 312 बोर

02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

02 अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. नि० रन्धा सिंह, थाना पसगवां जनपद खीरी
2. का० रामलखन
3. का० सतेन्द्र कुमार

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 170/2022 धारा 2(b)/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम में वांछित अभियुक्तों 1.लंबू उर्फ शाहनवाज पुत्र दीन मोहम्मद निवासी कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी 2.इकबाल पुत्र गुलजारी निवासी कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. लंबू उर्फ शाहनवाज पुत्र दीन मोहम्मद निवासी कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी
2. इकबाल पुत्र गुलजारी निवासी कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र शिवराज सिंह को घटना में प्रयुक्त रायफल 315 बोर,03 अदद जिंदा व 02 अदद खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 263/2022 धारा 323/504/307 भा0द0वि0 व 3(2) V SC/ST ACT में वांछित अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी डुडौलिया थाना पसगवां जनपद खीरी को घटना में प्रयुक्त 01 अदद रायफल लाइसेन्सी 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 किता लाइसेन्स नं0 1330 के साथ मुनफ्फरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पसगवां पर मु0अ0सं0 266/2022 धारा 27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विक्रम सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी डुडौलिया थाना पसगवां जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद रायफल 315 बोर

03 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

02 अदद खोखा कारतूस

01 अदद किता लाइसेन्स नं0 1330

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राहुल सिंह, चौकी प्रभारी उचौलिया थाना पसगवां जनपद खीरी
2. हे0का0 जय प्रकाश पटेल
3. का0 प्रमोद कुमार

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त छोटेलाल पुत्र ज्ञानू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 07.06.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र ज्ञानू के पास से 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 305/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

छोटेलाल पुत्र ज्ञानू निवासी ग्राम बेहटा थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध चाकू बरामद

थाना फरधान पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्त गोबिन्द उर्फ कूदनू को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा जनपद में अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक 08.06.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त गोबिन्द उर्फ कूदनू पुत्र चूणामणि उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम दुर्गापुर थाना फरधान जिला खीरी को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ नहर के किनारे बहदग्राम दुर्गापुर से गिरफ्तार किया गया जिसका थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 248/2022 धारा 60(2) ex Act पंजीकृत किया गया जिसके संबंध में थाना हाजा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है-

गिरफ्तार अभियुक्त

1. गोबिन्द उर्फ कूदनू पुत्र चूणामणि उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम दुर्गापुर थाना फरधान जिला खीरी

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 आदित्य कुमार यादव
2. हे0का0 शोभनाथ सिंह
3. हे0का0 राम बहादुर
4. का0 श्याम किशुन

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 250/22 धारा 380/411 भादवि में वांछित अभियुक्त राजू पुत्र सलीम थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 721/03 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध SC/ST Act में वारण्टी अभियुक्त रामकिशुन पुत्र ईश्वरी थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मितौली पुलिस द्वारा, अ0सं0 294/20 धारा 60 Ex Act में वारण्टी अभियुक्त मुनीश पासी पुत्र दुन्नीलाल थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 10/20 धारा 138 विद्युत अधि0 में वारण्टी अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र दाता थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 13/20 धारा 138 विद्युत अधि0 में वारण्टी अभियुक्त शिव कुमार सिंह पुत्र बन्धु थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 28/19 धारा 498A/323 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट में वारण्टी अभियुक्त लवकुश पुत्र रतिमल निवासी झखरा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1592/12 धारा 323/354ख/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वारण्टी अभियुक्त राजेश निवासी परसिया थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 6406/10 धारा 323/504/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्तगण 1. श्रीकृष्ण पुत्र गनपत व 2. परशुराम पुत्र गनपत निवासीगण पुरैना थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 89/16 धारा 376/506 भादवि व ¾ पाँक्सो एक्ट में वारण्टी अभियुक्त कामताप्रसाद पुत्र हरद्वारी नि0 थाना मैलानी जनपद खीरी
- थाना मैलानी पुलिस द्वारा अ0सं0 1009/11 धारा 9/49ए/51 WLP एक्ट में वारण्टी अभियुक्त केशवराम पुत्र गोबरे नि0 बेलहिया थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

- थाना मैलानी पुलिस द्वारा अ0सं0 3379/16 धारा 26/41/42 WLP एक्ट में वारण्टी अभियुक्त लाला पुत्र जगन नि0 बहेडीपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ0सं0 414/12 धारा 323/504/506/427 भादवि व 3(1)5 एससी एसटी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त सन्तोष पुत्र गुमानी नि0 कोडरी थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 1398/16 धारा 302/120 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मायाराम पुत्र वंशी नि0 नौबना थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 65/20 धारा 408ए/323/5006 भादवि व ¾ आर्म्स एक्ट में वारण्टी अभियुक्त चमन नि0 अतरिया थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 533/10 धारा 304 भादवि में वारण्टी अभियुक्त गयाप्रसाद पुत्र गोविन्द नि0 पिपरिया थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 7644/07 धारा 9/51 WLP एक्ट में वारण्टी अभियुक्त पट्टे पुत्र गजपति नि0 छोटी पलिया थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 7342/09 धारा 9/27//31/32/38/61/51 WLP एक्ट में वारण्टी अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र रोशन नि0 बसन्तापुर थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 270 लीटर अवैध शराब व 07 शराब भट्टी बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **270 लीटर अवैध कच्ची शराब व 07 शराब भट्टी** बरामद कर **15 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **15 अभियोग** पंजीकृत किए गए।